ik< f'k{kk

अक्टूबर–दिसम्बर 2018
वर्ष 62 अंक–4

lEiknd e.My

प्रो. भवानीशंकर गर्ग
(संरक्षक)

श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
डा. सरोज गर्ग
श्री दुर्लभ चेतिया
डा. डी.के.वर्मा
डा. उषा राय
डा. मदन सिंह
श्री एस.सी. खंडेलवाल
श्री राजेन्द्र जोशी

i/kku lEiknd
श्री कैलाश चौधरी

lEiknd
डा. मदन सिंह

lgk;d lEiknd
बी. संजय

bl vad e

संपादकीय

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन
– गोविन्द सिंह धामी 5

विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा क्रियान्वयन की स्थिति : एक विश्लेषण
– उमेश चमोला 13

शिक्षा की सूरत
– जीनत 19

आधी आबादी की शिक्षा एवं चुनौतियां
–ज्ञानवती धाकड़ 21

वैश्विक जीवन एवं निरंतरता, एक गांधीवादी दृष्टिकोण
–डी जॉन चेल्लादुरै 36

हमारे लेखक 40

eY;% :i; 200@&okf"kd

if=dk e 0;Dr y[kdk d fopkj mud o;fDrd fopkj g] ftud fy, l?k ,o lEiknd dh lgefr vfuok;l ugh g A

New Publication

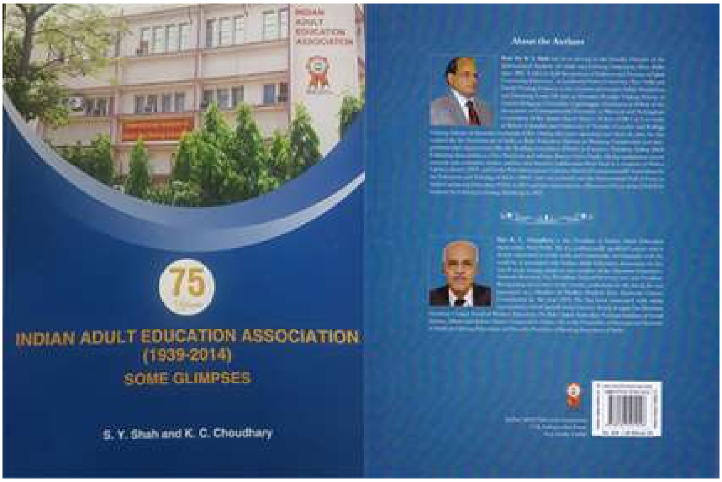

This book is authored by Prof. S.Y.Shah and Shri K.C.Choudhary. It is a coffee table publication of 228 pages with a lot of photographs. It has three parts – Part – I: Origin and Organizational Set-up, Part – II: Glimpses of Select Programmes of IAEA which contains 12 sub-heads (Knowledge Sharing: Conferences, Seminars and Workshops, Knowledge Generation: Research & Evaluation, Capacity Building Programmes: Training, Orientation and Short Courses, Extension and Outreach Programmes, Memorial Lectures: Dr. Zakir Husain, Dr. Robby Kidd and Dr. James A. Draper, Literacy Awards and Honours, Advocacy and Networking, International Links, International Institute of Adult and Lifelong Education, Reading Association of India, Amarnath Jha Library and National Documentation Centre and Publications: Books, Journals and Newsletters) and Part – III which contains 7Annexure (List of Past Presidents, Vice Presidents, Secretaries and Treasurers, Album of Key Persons who served IAEA, List of All India Adult Education Conference, List of Evaluation Studies, Recipients of Nehru Literacy Award, Recipients of Tagore Literacy Award and List of Publications).

भारत क्या सचमुच कौशल युक्त युवाओं का वैश्विक केंद्र बन सकेगा?

विकास और सशक्तीकरण की चर्चा रोजगार की उपलब्धता की बातचीत के बगैर पूरी नहीं होती। पिछले कई वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि युवाओं को बेहतर रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके इसके लिए अपेक्षित है कि वे समयानुकूल कौशल से युक्त हों। इस ओर गौर करने पर यह पता चलता है कि भारत में रोजगार की चाह रखने वालों की संख्या एवं देश की कौशल प्रदान करने की कुल क्षमता के बीच बहुत बड़ा फासला विद्यमान है। इस फासले को कम करने के उद्देश्य से सन् 2014 में भारत सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया ताकि इस हेतु सघन एवं समुचित प्रयास किया जा सके। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयत्नों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) एक महत्वपूर्ण एवं महत्वकांक्षी कदम था। केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित एवं संचालित इस योजना से बहुत बड़ी उम्मीद की जा रही है।

गत 6 जून 2018 को आयोजित एक प्रेस वार्ता में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दर्ज की गई उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई। प्रदत्त जानकारी के अनुसार देश में अब 450 से ज्यादा प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से अब तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। साथ ही साथ यह उम्मीद भी जताई गई है कि सन् 2018 की समाप्ति तक देश के सभी 700 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों की शुरूआत कर दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि रिकॉगनिसन टू प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के तहत अब तक 9.33 लाख युवाओं के हुनर का यथोचित मूल्यांकन करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। शुल्क आधारित प्रशिक्षण के तहत अब तक 11,035 प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन किया गया है जिनके माध्यम से अब तक 1 करोड़ से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही आई.टी.आई की सीटों में 54 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तथा नेशनल एपरैंटिसशीप प्रमोशन योजना के तहत सन् 2014 से अब तक 3.95 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

पीएमकेवीवाई (प्रथम चरण – 1.0) सन् 2015–16 में चलाई गई। इसके बाद इस योजना के दूसरे चरण (2.0) की शुरूआत हुई जो 2016 से 2020 तक चलाई जाने वाली है, जिसमें अब तक कई सुधार और महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी गई हैं। विदित है कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, स्किल इंडिया के तहत चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (प्रथम चरण) के तहत 2015–16 और 2016–17 में कुल 19 लाख 78 हजार

902 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, इनमें से 8.94 फीसद लोग ही कही न कही रोजगार कर रहे हैं। आंकड़ों में यह 2 लाख 21 हजार 268 है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वितीय चरण (2016–20) के तहत 2016–17, 2017–18, 2018–19 में अब तक कुल 22 लाख 31 हजार 202 को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 7 लाख 5912 लोगों को नौकरी मिली। यह करीब 29 फीसदी है।

पीएमकेवीवाई का द्वितीय चरण सन् 2020 तक संचालित रहेगा। वर्तमान में देश भर में तकरीबन 7216 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। सबसे अधिक प्रशिक्षण केन्द्र उत्तर प्रदेश में हैं जहां कुल 1354 केंद्रों का संचालन हो रहा है। इसके बाद राजस्थान में 1057 केंद्र हैं। हरियाणा में 770 केंद्र, मध्यप्रदेश में 631, पंजाब में 444 और तमिलनाडू में 356 केंद्र हैं। गुजरात में इन केंद्रों की संख्या 138 है। बाकी अन्य प्रदेशों में 250 से कम केंद्र हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह पूछा गया था कि कितनी कंपनियों ने सरकार के साथ कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण देने और नौकरी देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन उत्तर से यह ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के पास इस संबंध में कोई जानकारी उपल्बध नहीं है। हालांकि, ससंद में जानकारी देते हुए मंत्रालय की ओर से बताया गया कि योजना में समर्थन के लिए देशभर के अनेक कंपनियों ने शपथ ली है। इस मंत्रालय के पोर्टल पर 32804 कंपनियां पंजीकृत हैं।

विदित है कि 2 अक्टूबर 2016 को इस योजना का प्रारंभ करते हुए यह लक्ष्य रखा गया था कि आगामी 4 वर्षों अर्थात 2016 से 2020 में इस योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिसके लिए सरकार द्वारा 12,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। प्रशिक्षण के साथ रोजगार का विषय भी अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था। अपेक्षा यह की गई थी कि इस योजना के तहत प्रदत्त प्रशिक्षण का स्तर एवं गुणवत्ता इतना उच्च होगा कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को तत्काल ही रोजगार प्राप्त हो सकेगा। पर उपलब्ध आंकड़ें इस दावा कि पुष्टि नहीं करते। बहरहाल 2020 पूरा होने में कुछ समय शेष है। देखना यह है कि क्या निर्धारित अवधि में इस योजना के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है? उम्मीद थी कि इस योजना के कारण भारत सम्पूर्ण एशिया महादेश ही नहीं बल्कि विश्वभर के लिए कौशल युक्त युवाओं के केंद्र के रूप में विकसित हो सकेगा। इसलिए आने वाले समय में इस लिहाज से भी इस योजना का मूल्यांकन अपेक्षित होगा।

– बी. संजय

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

गोविन्द सिंह धामी

प्रकृति में अद्भुत सामंजस्य एवं सन्तुलन है। जैविक एवं अजैविक घटकों की अन्योन्याश्रित और परस्पर समाकलन के कारण पर्यावरण सन्तुलन बना रहता है। पृथ्वी के पर्यावरण की भौतिक, सांस्कृतिक एवं जैविकीय विशिष्टताएं एक दूसरे से अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धों से जुड़ी हैं। यही अन्तर्क्रियात्मक पर्यावरण मानव के अस्तित्व एवं जीवित रहने का आधार है। सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क के कारण मनुष्य बुद्धिमान कहा गया है फिर भी भोजन के लिए निर्भरता, सामाजिक संगठन, प्रादेशिकता एवं आक्रामक प्रवृति की दृष्टि से वह अन्य प्राणियों के ही समान है। मानव मस्तिष्क ने इन गुणों को नया आयाम दिया है और अन्य प्राणियों की तुलना में मानव पर्यावरण का सर्वाधिक गतिशील कारक है। मानव के अनियंत्रित क्रिया–कलाप सम्पूर्ण जैव मण्डल की संरचना, संसाधनों तथा भू–पारिस्थैतिकी पर भी प्रभाव डाल रहे हैं।

आज वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रभाव की चर्चाएं हो रही हैं जिसमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, धरती के बढ़ते हुए तापमान, सूखते हुए ग्लेशियर, बदलता हुआ मौसम चक्र इत्यादि के बारे में दुनिया के हर कोने में किसी न किसी प्रकार की बहस हो रही है। यह पर्यावरण के बदलते हुए स्वरूप के कारण हो रहा है। यदि विद्यार्थियों को समय रहते हुए इन तथ्यों की जानकारी होगी तो वह किसी न किसी रूप में पर्यावरण सरंक्षण में मदद कर सकते हैं।

विश्व के समक्ष मौजूद गंभीर चुनौतियों में पर्यावरण प्रदूषण भी एक गंभीर चुनौती है। अतः धरती के समक्ष मौजूद गंभीर चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए दुनिया भर में हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के संचालन के दौरान पर्यावरण के प्रति अविवेकपूर्ण दोहन की प्रकृति अपनाने के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जिनका पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में कमोवेश प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं निम्नलिखित हैं –

1. जलवायु में परिवर्तन
2. विश्व के तापमान में वृद्धि
3. अम्ल वर्षा

4. ओजोन परत का क्षयीकरण
5. हरित गृह प्रभाव
6. हिम का पिघलना

उपरोक्त समस्याओं का आकार दिन – प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। यदि मनुष्य तत्तकाल सचेत हो इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास न करे तो हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो सकता है क्योंकि वस्तुतः हमारा जीवन पर्यावरण के संतुलन पर ही निर्भर है। मानव का सम्पूर्ण विकास पर्यावरण पर निर्भर करता है, किन्तु मानव ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसे इतनी क्षति पहुँचायी है कि आज पर्यावरण सुरक्षा विश्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।

समस्या कथन

प्रस्तुत अध्ययन के तहत मुख्यरूप से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. लिंग के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. लिंग के आधार पर मैदानी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शोध परिकल्पनायें निर्मित की गयी हैं तथा इस शोध कार्य के तहत निम्न मुख्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है :

1. विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता में क्षेत्रीय आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

2. पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर पर्यावरण जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
3. मैदानी क्षेत्र के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर पर्यावरण जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

अध्ययन विधि

शोध विधि का अनुसंधान प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। शोध समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श का चयन

शोधकर्त्ता द्वारा कुमाऊँ मण्डल के पिथौरागढ़ व नैनीताल जिले के 22 माध्यमिक विद्यालयों को उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि से चयन किया गया जिसमें 15 सह–शिक्षा विद्यालय, 3 बालक विद्यालय, तथा 4 बालिका विद्यालय शामिल हैं। चयनित 22 माध्यमिक विद्यालयों में से यादृच्छिक न्यादर्श विधि "लाटरी विधि" से 477 छात्र–छात्राओं को न्यादर्श हेतु चयन किया गया।

न्यादर्श विवरण

1. विद्यार्थियों का क्षेत्रीय आधार पर न्यादर्श विवरण

विद्यालय की भौगोलिक स्थिति	पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थी	मैदानी क्षेत्र के विद्यार्थी	योग
संख्या	243	234	477
प्रतिशत	50.94%	49.06%	100%

2. पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर न्यादर्श विवरण

विद्यार्थी	पर्वतीय क्षेत्र के छात्र	पर्वतीय क्षेत्र की छात्राएं	योग
संख्या	119	124	243
प्रतिशत	48.97%	51.03%	100%

3. मैदानी क्षेत्र के विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर न्यादर्श विवरण

विद्यार्थी	मैदानी क्षेत्र छात्र	मैदानी क्षेत्र छात्रा	योग
संख्या	116	118	234
प्रतिशत	49.57%	50.43%	100%

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

न्यादर्श का चयन करने के उपरान्त शोधकर्त्ता द्वारा पर्यावरण जागरूकता के विषय में ज्ञान के मापन के लिए डॉ. प्रवीण कुमार झा द्वारा निर्मित 'पर्यावरण जागरूकता योग्यता मापनी' का प्रयोग किया गया है, जो सन् 1998 में तैयार किया गया। इस मापनी में यह निर्धारित किया गया था, कि सम्पूर्ण पर्यावरण के निम्न आयाम को आधार मानकर उसका निर्माण किया जाय।

1. प्रदूषण के मूल कारण
2. जंगली भूमि, हवा आदि का संरक्षण
3. ऊर्जा संरक्षण
4. मानव स्वास्थ का संरक्षण
5. पशुपालन और अन्य जीव का संरक्षण

इसमें पर्यावरण जागरूकता संबंधित उपरोक्त पॉचों आयामों के आधार पर 71 कथन निर्मित किये गए जो पर्यावरण जागरूकता के मानदण्ड को पूरा करते थे। विषय–विशेषज्ञों का मानना था कि प्रत्येक कथन विषय से सम्बन्धित है, लेकिन जब उस मापनी की वैधता निकाली गयी तो 10 कथनों को संशोधित किया गया और 20 कथनों को हटाया गया। इस प्रकार 51 कथन के साथ अन्तिम संशोधित तथा परमार्जित रूप तैयार कर लिया गया । चार पन्नों के परीक्षण प्रपत्र के प्रथम पृष्ठ पर परीक्षार्थी के परिचयात्मक विवरण व दिशनिर्देश तथा पृष्ठ के अन्त में फलांकन तालिका का उल्लेख किया गया जिसका प्रयोग परीक्षार्थियों के परिणामों के अंकीकरण हेतु किया गया। इस प्रश्नावली में दिये गये कुल 51 कथनों में से 43 कथनों के उत्तर 'सहमत' में तथा शेष 8 कथनों के उत्तर 'असहमत' में थे।

प्रदत्तों का अंकीकरण

जैसा कि पूर्व उल्लिखित है, 'पर्यावरण जागरूकता योग्यता मापनी' में कुल 51 कथन थे, व प्रत्येक में सहमत तथा असहमत लिखा गया था। विद्यार्थियों को अपनी स्वीकृति के आधार पर सही (☑) का निशान लगाना था। इस प्रकार सकारात्मक कथन पर सहमत होने पर एक अंक तथा असहमत पर शून्य अंक एवं नकारात्मक कथन पर असहमत होने पर एक अंक तथा सहमत पर शून्य अंक दिया गया था।

विश्लेषण एवं विवेचन

एकत्रित किये गये तथ्यों एवं आँकड़ों पर सांख्यिकीय प्रयोग करके उनका विश्लेषण किया गया जो निम्न प्रकार है।

1. पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन –

Rkkfydk 1

विद्यालय की भौगोलिक स्थिति	प्रतिदर्श की संख्या (N)	प्रतिदर्श का प्रतिशत	मध्यमान	माानक विचलन	टी मूल्य	सार्थकता स्तर
पर्वतीय क्षेत्र	243	50.94	37.53	6.83	3.64	0.01
मैदानी क्षेत्र	234	49.06	34.28	6.69		

तालिका – 1 में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्वतीय अंचल में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता माध्य मैदानी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता माध्य की तुलना में उच्च थे। दोनों न्यादर्श समूहों में पर्यावरण जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया गया जो सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक था ('t'= 3.64)।

2. पर्वतीय विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन –

Rkkfydk 2

लिंग के आधार पर विद्यार्थी	प्रतिदर्श की संख्या (N)	प्रतिदर्श का प्रतिशत	मध्यमान	मानक विचलन	't' मूल्य	सार्थकता स्तर
पर्वतीय बालक	119	48.97	38.71	6.125	2.686	0.01
पर्वतीय बालिका	124	51.03	36.39	7.283		

तालिका – 2 में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पर्वतीय अंचल में अध्ययनरत् बालक पर्यावरण जागरूकता सम्बन्धी प्राप्तांकों में पर्वतीय अंचल में अध्ययनरत् बालिकाओं से उच्च थे। दोनों न्यादर्श समूहों में पर्यावरण जागरूकता में सार्थक अन्तर पाया गया जो सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक था ('t'= 2.686)।

3. लिंग के आधार पर मैदानी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन–

Rkkfydk 3

लिंग के आधार पर विद्यार्थी	प्रतिदर्श की संख्या (N)	प्रतिदर्श का प्रतिशत	मध्यमान	मानक विचलन	't' मूल्य	सार्थकता स्तर
मैदानी बालक	116	49.57	34.90	6.71	1.525	कोई सार्थक अन्तर नहीं
मैदानी बालिका	118	50.43	33.68	6.60		

तालिका – 3 में प्रस्तुत प्रदत्तों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मैदानी क्षेत्र में अध्ययनरत् बालक तथा मैदानी क्षेत्र में अध्ययनरत् बालिकाएं पर्यावरण संबंधित जागरूकता में लगभग समान थे। अर्थात् पर्यावरण जागरूकता में मैदानी बालक तथा मैदानी बालिकाओं के मध्य सार्थक अन्तर नहीं पाया गया ('t'= 1.525)।

निष्कर्ष

परिकल्पना एवं संदर्भ ही निष्कर्षों को सार्थक एवं बोधगम्य बनाते हैं। प्रस्तुत शोध में उल्लेखित परिकल्पनाओं के परीक्षण के पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए –

1. पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता में सार्थक अन्तर है । अतः परिकल्पना 1 अस्वीकृत होती है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पर्वतीय क्षेत्र के विद्यार्थी मैदानी क्षेत्र के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पर्यावरणीय ज्ञान व जागरूकता रखते हैं।
2. पर्वतीय क्षेत्र के अध्ययनरत् विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर पर्यावरण जागरूकता में सार्थक अन्तर है । अतः परिकल्पना संख्या 2 अस्वीकृत होती है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन क्षेत्र के बालक वहां के बालिकाओं की तुलना में अधिक पर्यावरण जागरूकता रखते हैं।
3. मैदानी क्षेत्र के अध्ययनरत् विद्यार्थियों में लिंग के आधार पर पर्यावरण जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है । अतः परिकल्पना संख्या 3 स्वीकृत होती है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन क्षेत्र के बालक वहां के बालिकाओं की तुलना में समान पर्यावरण जागरूकता रखते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

शैक्षिक जगत में अनुसंधान का विशेष महत्व है क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्य के जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित, स्थापित एवं परिवर्तित करती है। कहा भी गया है कि यदि किसी देश के वातावरण (पर्यावरण) में सकारात्मक परिवर्तन लाना हो तो सर्वप्रथम उसकी शैक्षिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा।

शिक्षा में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन हेतु यह शोध कार्य एक प्रयास मात्र है। इस शोध कार्य के द्वारा वर्तमान पर्वतीय व मैदानी परिवेश में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन किया गया है जिसके कारण शैक्षिक उद्देश्य प्रभावित हो सकती है।

शिक्षा के लिए प्रस्तुत शोध की उपादेयता पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा तथा सुधार को

ही केन्द्रित करती है ताकि प्रदूषण के निवारण तथा उपचार के भिन्न–भिन्न बिन्दुओं पर ध्यानकर्षण किया जा सके। इसी आधार पर पर्यावरण की सटीक, विधिवत तथा तथ्यपरक जानकारी देना, पर्यावरण के विकृत होने के कारणों को ज्ञात करना, वनों के अत्यधिक कटाव से भू–क्षरण की आपदा की जानकारी देना, वायु एवं जल के प्रदूषण का हल खोजना तथा मानव–समाज को इस हेतु तैयार करना, प्रेरित करना एवं भावी पीढ़ी को भी पर्यावरण की शिक्षा दे कर जागरूक करना आवश्यक है।

सुझाव

किसी भी शोध कार्य की सार्थकता इसी तथ्य में निहित है कि शोध कार्य में निहित कमियों को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किये जायें। प्रस्तुत शोध कार्य पिथौरागढ़ व नैनीताल जनपद के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का उनकी बुद्धि एवं शैक्षिक निशपत्ति के सन्दर्भ में अध्ययन से सम्बन्धित है। अध्ययन के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर शोधकर्त्ता द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रतिपादित किए गए जो निम्नवत् हैं –

1. इस अध्ययन में पिथौरागढ़ व नैनीताल जनपद के कुछ विद्यार्थियों को ही शोध का विषय बनाया गया था। भविष्य में अधिक न्यादर्श लेकर इस शोध कार्य को विस्तृत रूप दिया जा सकता है।
2. उच्चतर माध्यमिक स्तर के अतिरिक्त अन्य स्तरों के विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता के सम्बन्ध में भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
3. विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन करते समय विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों को उपयोग में लाया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. कौल, लोकेश (2011), शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रा.लि., ई–28, नोएडा, पृ.सं. 25–496।
2. गौतम अलका, जलवायु एवं समुद्र विज्ञान, रस्तोगी प्रकाशन, शिवाजी रोड़, मेरठ पृष्ठ संख्या 279–291।
3. बेडेकर,वी.एच (1982), हाऊ टू राईट, असाइनमेंट, रिसर्च पेपरस, डिजरटेशन एण्ड थिसिस, कनक पब्लिकेशनस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 114।
4. बुच,एम.बी (1982), ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन, बड़ौदा, सीएएसई, एम.एस. यूनिवर्सिटी, बड़ौदा पृष्ठ संख्या 618।

5. भटनागर,ए.बी.एवं अन्य (2007), भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, आर.लाल बुक डिपों, निकट राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ पृष्ठ संख्या 322—353।

6. माथुर,यू.बी. (2010), क्लाईमेट चेंज; पास्ट, प्रजैण्ट एण्ड़ फ्यूचर, ज्योलोजिकल सोसाईटी ऑफ इंडिया, बंगलौर, पृष्ठ संख्या 1—9।

7. मिचेल, जे. एफ.बी.(1989), रिभ्यू ऑफ जियोफिजिक्स, पृष्ठ संख्या 115—140।

8. लाल, रमन बिहारी(2007—08), शिक्षा मनोविज्ञान एवं प्रारम्भिक सांख्यिकी, आर.लाल बुक डिपों, निकट राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ पृष्ठ संख्या 413—544।

9. सक्सेना,एन.आर.स्वरूप (2007) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, आर.लाल बुक डिपों, निकट राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ पृष्ठ संख्या 504—535।

10. शर्मा, आर.ए.(1982), शिक्षा अनुसंधान, सूर्या पब्लिकेशन, निकट राजकीय इण्टर कालेज, मेरठ पृष्ठ संख्या 16—166।

11- Jha, Praveen Kumar (n. d.). Environment Amoreness Ability Measures (EAAM-I). 4/230, Kacheri Crhat. Agra: National Psychogical Corporation.

cki d x :

एक दिन किसी व्यक्ति ने बातों—बातों में बापू से प्रश्न किया — बापू, आपका गुरू कौन है?

बापू ने खिलौने की ओर इशारा करते हुए हँस कर कहा — ये मेरे गुरू हैं, और मैं इनका शिष्य।

वह आदमी अचम्भित रह गया। बापू ने बन्दरों को गुरू क्यों कहा? वह यह न समझ सका। उत्सुकतापूर्वक उसने बापू से पूछा — ''बापू इन वानरों में क्या विशेषता है? आपने इन्हें अपना गुरु क्यों कहा?

बापू ने खिलौने को उठाया और बोले — ''इस वानर को देखो — इसने दोनों हाथों से अपना मुंह बन्द किया हुआ है। यह सिखाता है कि कभी भी किसी को अपने मुँह से बुरा न कहो। इस दूसरे ने अपनी आँखें बन्द की हुई हैं। यह सिखाता है कि कभी कोई बुरी चीज़ न देखो। इस तीसरे ने अपने कान इसलिए बन्द किये हैं कि कभी कोई बुरी बात न सुनो। इनका यह आदेश बड़े—बड़े ऋषि—मुनियों के आदेश से बढ़कर है। यदि इन आदेशों का पालन किया जाए तो मनुष्य छल और कपट की दुनियां से कोसों दूर हो जाए। मनुष्य का बुरे से बुरा स्वभाव बदल जाए। इनकी यह शिक्षा मुझे उन्नति का मार्ग दिखाती है। फिर भला मैं इन्हें अपना गुरू क्यों न मानू?''

गांधीजी ने इन तीनों बातों का सदा पालन किया। वे दूसरों की बुराइयों की ओर कभी ध्यान नहीं देते थे, और न कभी किसी की निन्दा करते थे। यदि कोई उनकी बुराई करता तो वे उसकी भी परवाह नहीं करते थे।

me'k pekyk

बिगड़ता हुआ पर्यावरण आज वैश्विक चिन्ता का विषय बन चुका है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए समाज में जागरूकता का प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इसीलिए पर्यावरणीय शिक्षा आज संपूर्ण विश्व की आवश्यकता के रूप में सामने आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में विद्यालयी शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा लागू करने हेतु संबद्ध संस्थानों को निर्देशित किया है।

leL;k dh mRifRRk ,o p;u

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के द्वारा और पर्यावरण के लिए शिक्षा है। इसका मतलब है कि पर्यावरणीय शिक्षा की विषयवस्तु पर्यावरण ही है और इसके शिक्षण का माध्यम भी पर्यावरण ही है। इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसीलिए कक्षा 1 और 2 के भाषा और गणित में पर्यावरणीय शिक्षा संबोधों को समाहित कर तथा कक्षा 3 से 5 में इसे पृथक विषय के रूप में दिए जाने का सुझाव इस पाठ्यचर्या में दिया गया है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सभी विषयों में पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित संबोधों को समाहित करने पर बल दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय का संबंध पर्यावरणीय शिक्षा से है और प्रत्येक विषय का अध्यापन करने वाला शिक्षक पर्यावरणीय शिक्षा का अध्यापक है। अतः पर्यावरण से संबंधित विभिन्न संबोध सम्पूर्ण विद्यालयी पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग हैं।

पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण हो या अन्य विषयों का शिक्षण, इनमें दैनिक जीवन से जुड़े विभिन्न उदाहरण, गतिविधियों, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों आदि के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित संबोधों पर विद्यालय में चर्चा की जानी आवश्यक है। तभी पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रसार हो सकेगा। विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा के इन्हीं विभिन्न पक्षों के क्रियान्वयन की स्थिति को जानने के लिए प्रस्तुत शोध विषय का चयन किया गया है।

Lkcf/kr lkfgR; dk v/;;u

अकिनुओ मॉड्यूल अजनेस तथा अब्ड राहिम एम.डी. नौर ने मलेशिया और नाइजीरिया

के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा के कियान्वयन की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने मलेशिया के माध्यमिक विद्यालयों में 75 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों में पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूकता देखी। नाइजीरिया के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में यह अपेक्षाकृत कम देखी गई।

नाथली डुवल (2016) ने सीचेलीज बोत्सवानिया के विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर इतिहास विषय के शिक्षण में पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित संबोधों के प्रयोग की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 80 प्रतिशत शिक्षकों के द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। वे इतिहास विषय के शिक्षण में पर्यावरण से संबंधित संबोधों को सफलतापूर्वक समाहित कर पा रहे थे।

प्रोफेसर लार्स एमलिन और उनके सहयोगियों (2009) ने स्वीडन और जर्मनी के प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति के अध्ययन में पाया कि स्वीडन के प्राथमिक विद्यालयों की पाठ्यचर्या में 60 प्रतिशत पर्यावरणीय शिक्षा समाहित की गई है। इसके लिए एक सप्ताह में 6 से 7 घंटे निर्धारित किए गए हैं। जर्मनी के विद्यालयों में 70 प्रतिशत पर्यावरणीय संबोधों को समाहित किया गया है। इसके लिए प्रति सप्ताह 4 घंटे समय सारिणी में रखे गए हैं।

जोसुवा रिसिरो (2014) ने जिम्बावे के विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इतिहास और धार्मिक अध्ययन से संबंधित विषयवस्तु तथा मूल्यांकन में पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। भाषा के विषयवस्तु में पर्यावरणीय संबोधों की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं किया गया था किन्तु कविता और समीक्षा में सहभागी विधियों को अपनाया गया था। यहां तकनीकी विषयों में पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित संबोधों को समाहित किया गया था।

अध्ययन का औचित्य

संबंधित साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न शोधार्थियों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूकता, विभिन्न विषयों के शिक्षण में पर्यावरणीय शिक्षा के संबोधों की स्थिति, पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय शिक्षा की स्थिति आदि पक्षों पर शोध कार्य किया है। इनमें से अधिकांश अध्ययन विदेशों में किए गए हैं। प्रत्येक स्थान का सामाजिक – सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण अलग–अलग होता है। उत्तराखण्ड राज्य अपने विशिष्ट एवं समृद्ध सामाजिक–सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण के लिए जाना जाता है। मनुष्य की आधुनिक बदलती जीवन शैली ने यहॉ के पर्यावरण पर भी प्रभाव डाला है। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित काफी नवाचारी प्रयास किए गए हैं। अतः यहॉ की विद्यालयी

पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय शिक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति पर अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इस अध्ययन से पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित ऐसे संबोध चिन्हित होंगे जिन पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय संबोधों के क्रियान्वयन की स्थिति का विश्लेषण करना।
2. शिक्षण –अधिगम प्रक्रिया में पर्यावरण आधारित संबोधों के प्रयोगों एवं संचालित गतिविधियों की स्थिति का अध्ययन करना।
3. विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की स्थिति का विश्लेषण करना।

अध्ययन का सीमांकन

यह अध्ययन उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के कुल 65 विद्यालयों पर सीमित किया गया है। प्रत्येक जनपद से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों का चयन किया गया है।

अध्ययन हेतु उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली द्वारा विकसित प्रश्नावली Implementation of Environmental Education in States / UT Questionnaire का एन.सी.ई.आर.टी. से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उपयोग किया गया है। इसमें कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय संबोध, कक्षा शिक्षण में पर्यावरणीय संबोधों के प्रयोग की स्थिति, शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में चर्चा हेतु प्रयुक्त पर्यावरण विषयक मुद्दे आदि पर आधारित हैं। इन 10 प्रश्नो में से प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों के अनुरूप कुल 07 प्रश्नों पर शिक्षकों से अनुक्रियायें प्राप्त की गईं है।

अध्ययन हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय विधियॉ

इस अध्ययन में नॉरमेटिव सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में से प्रत्येक जनपद से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज तथा राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों से कुल 05 प्रधानाचार्यों और इस प्रकार 65 विद्यालयों के प्रधानाचायों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक

प्रतिचयन विधि से किया गया है। पूरित प्रश्नावली में प्राप्त अनुक्रियाओं की स्थिति के विश्लेषण के लिए इनका प्रतिशत ज्ञात किया गया।

प्रदत्तों का संकलन

चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली द्वारा विकसित प्रश्नावली को पूरित करने का आग्रह किया गया। प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों से चर्चा –परिचर्चा के उपरांत प्रश्नावली को पूरित किया गया। 65 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से पूरित प्रश्नावली को प्राप्त कर उनका विस्तृत विश्लेषण किया गया।

परिणाम एवं व्याख्या

(अ)–विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय संबोध, कक्षा शिक्षण में पर्यावरणीय संबोध तथा विद्यालय में आयोजित होने वाली पर्यावरणीय गतिविधियॉं–

	विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय संबोध		कक्षा शिक्षण में पर्यावरणीय संबोध		विद्यालय में आयोजित होने वाली पर्यावरणीय गतिविधियॉं	
	सकारात्मक अनुक्रिया	नकारात्मक अनुक्रिया	सकारात्मक अनुक्रिया	नकारात्मक अनुक्रिया	सकारात्मक अनुक्रिया	नकारात्मक अनुक्रिया
संख्या	51	14	60	05	53	12
प्रतिशत	78.4	21.6	92.3	7.7	81.5	18.5

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 78.4 प्रतिशत विद्यालयों में विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय संबोधों को स्थान दिया गया है। इसी प्रकार 92.3 प्रतिशत विद्यालयों में कक्षा शिक्षण के दौरान पर्यावरणीय संबोधों को महत्व दिया जाता है। 81.5 प्रतिशत विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियॉं संचालित की जाती हैं।

(ब)– विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की स्थिति

पर्यावरणीय शिक्षा विषयक मुद्दे	सकारात्मक अनुक्रिया		नकारात्मक अनुक्रिया	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बिजली के दुरुपयोग को रोकना	61	93.8	04	6.2
पानी की बरबादी को बचाना	63	96.92	02	3.1
खाने से पहले हाथ धोना	64	98.4	01	1.6
आवश्यक होने पर ही प्रिन्ट आउट लेना	56	87.5 (1 अनुक्रिया अप्राप्त)	08	12.5
जैविक कूड़े को कंपोस्ट में बदलना	63	96.9 (1 अनुक्रिया अप्राप्त)	01	3.1
विद्यालय के आस–पास के जंतु एवं पौधे	61	93.8	04	6.2
अन्य प्राणियों के प्रति दया भाव	63	98.4(1 अनुक्रिया अप्राप्त)	01	1.6
ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण	60	95.2(2 अनुक्रियाएं अप्राप्त)	03	4.8
जंतु और पौधों के आवासों का संरक्षण	63	98.4(1 अनुक्रिया अप्राप्त)	01	1.6
सेवा देने वाले लोगों के प्रति संवेदनशीलता	60	96.9 (1 अनुक्रिया अप्राप्त)	04	3.1
खिलौने, भोज्य पदार्थों आदि में उपस्थित विषाक्त पदार्थों से बचाव	62	95.3	03	4.7
फल, सब्जियों आदि के छिलकों का निस्तारण	62	95.3	03	4.7

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आवश्यक होने पर ही प्रिन्ट आउट लेने संबंधी पर्यावरणीय संबोध को छोड़कर अन्य सभी संबोधों में चयनित विद्यालयों में से 90 प्रतिशत से अधिक से सकारात्मक अनुक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

fu"d"k

चयनित 65 विद्यालयों में से 90 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों में शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संबोधों पर चर्चा कराई जाती है। 78.4 प्रतिशत विद्यालयों में ही विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय संबोधों को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार 18.5 प्रतिशत विद्यालयों में पर्यावरण आधारित गतिविधियों को अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना उचित होगा।

v/;;u dk 'kf{kd fufgrkFk

वर्तमान समय में मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। यह मानव के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। दूषित पर्यावरण से हमको बचाने में पर्यावरणीय शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यालय समाज की एक छोटी किन्तु क्रियात्मक इकाई है। विद्यालयी पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय शिक्षा को प्रभावी ढंग से सम्मिलित करने से हम स्वस्थ पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रसार कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन से विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह भी पता चलता है कि किन पर्यावरणीय मुद्दों के क्रियान्वयन में अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इससे पर्यावरणीय पाठ्यचर्या के संबंध में प्रशिक्षण की आवश्यकता के क्षेत्र भी स्पष्ट होते हैं। अतः विद्यार्थियों में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल (ईकोफ्रैन्डली) दिनचर्या और स्वस्थ आदतों के विकास की दृष्टि से भी यह अध्ययन उपयोगी है।

Hkfo"; e 'kk/k gr l>ko

1. यह अध्ययन उत्तराखण्ड के प्रत्येक जनपद के 5 विद्यालयों (कुल 65) पर किया गया है। यही अध्ययन अधिक न्यादर्श पर किया जा सकता है।
2. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पर्यावरणीय शिक्षा के क्रियान्वयन के तुलनात्मक अध्ययन पर भी शोध किया जा सकता है।
3. स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर विद्यालयों के द्वारा की जाने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों की स्थिति एवं उनके प्रभाव पर भी शोध अध्ययन किया जा सकता है।

4. पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले पर्यावरणीय शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों एवं उनके प्रभाव को भी शोध विषय के लिए चयनित किया जा सकता है।

5. विद्यालयों में आयोजित किए जाने वाले क्रियाकलापों के विद्यार्थियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी शोध अध्ययन किया जा सकता है।

I nHk

1. Directory for Environmental Education, NCERT, Arbindo Marg, New Delhi.
2. Akinnuoye Module Agnes, Abd Rahim Md Nor, Implementation of Environmental Education: A case study of Malaysian and Nigerian Secondary Schools. School of Social Development and Environmental Studies, University Kebangsaan, Malaysia, United Kingdom.
3. Nathalie Duval (2016) University of Botswana. Implementation of Environmental Education in Sechelies: The case of Beau Vallon Secondary Schools, International Journal of Science Research in Education, June 2016, volume- 9 (2).
4. Emaclin Lars (2009), Implementation of Environmental Education in Elementary schools, A Comparative Study between Sweden and Germany.
5. Joshua Risiro (2014), An Evaluation on the Implementation of Environmental Education Programmes at mature teachers college in Zimbawe. International Journal of Innovative Research and Development, January 2014, volume 3, Issue-1.

> ''बालकों दृढ़ बने रहो, मेरी सन्तानों में से कोई भी कायर न बने। तुम लोगों में जो सबसे अधिक साहसी है सदा उसी का साथ करो। बिना विघ्न–बाधाओं के क्या कभी महान कार्य हो सकता है? समय, धैर्य तथा अदम्य इच्छा शक्ति से ही कार्य हुआ करता है। मैं तुम लोगों को ऐसी बहुत सी बातें बतलाता, जिससे तुम्हारे हृदय उछल पडते, किन्तु मैं ऐसा नहीं करुंगा। मैं तो लोहे के सदृश दृढ़ इच्छा शक्ति सम्पन्न हृदय चाहता हूं जो कभी कम्पित न हो। दृढ़ता के साथ लगे रहो, प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दें। सदा शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा विवेकानन्द।''

शिक्षा की सूरत

ज़ीनत

कुछ समय पहले हमारी कक्षा में एक विषय पर कई दिनों तक विवाद रहा कि किसी देश का विकास वहां की शिक्षा से संभव है या वहां की सशक्त सेना से! मेरे मन में यह सवाल लगातार कौंधता रहा कि अगर सशक्त सेना से देश का विकास संभव है तो हमारा देश अभी भी भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी की चपेट में क्यों है! अगर ऐसा है तो यह कैसे संभव है कि पिछले ढ़ाई–तीन दशकों के दौरान कुछ लोग लगभग चार हजार करोड़ की लागत से बने घर तक पहुंच गए और देश के तमाम जनजातीय समूहों की दशा लगातार खराब होती गई। उन परिवारों को कैसे देखेंगे जिनमें बच्चों की पढ़ाई–लिखाई तो दूर, सबके लिए दो जून की रोटी का इंतजाम आज भी मुश्किल बना हुआ है। सरकारी उदासीनता के कारण हालत यह है कि विकास का मूल आधार अधर में लटकने लगा है। सवाल है कि जिस देश में एक बड़ी आबादी अनपढ़ रहेगी, उसके विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

देश के नागरिकों के विकास का मूल आधार शिक्षा है। शहरों के निजी स्कूलों और शिक्षा के स्तर को देख कर शायद कुछ तय नहीं किया जा सकता। भारत का निर्माण सिर्फ चार महानगरों के संयोग से नहीं होता, बल्कि उनतीस राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों के पिछड़े इलाकों से होता है, जहां ऐसे तमाम स्कूल हैं, जिनमें एक ही शिक्षक पहली से पांचवी कक्षा को सालों से पढ़ा रहा है। दूसरी ओर, भावनात्मक मुद्दों के बरक्स वास्तविक विकास के सारे सवाल हाशिये पर दिख रहे हैं। लेकिन यह सब क्यों हैं, इसे समझने के लिए हमें बेहतर शिक्षा की जरूरत है। लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने में हमारी तमाम सरकारें नाकाम और उदासीन रही हैं। आज जरूरी मुद्दों पर आम लोगों की समझ का साफ नहीं हो पाना कमजोर और कम गुणवतत्ता वाली शिक्षा का ही परिणाम है।

ऐसे मामले आम हैं, जहां किसी मशहूर और सबसे अच्छे माने जाने वाले शिक्षा संस्थान में पढ़ने आए बहुत सारे विद्यार्थियों की समझ बच्चे की तरह होती है। मैं जानना चाहती हूं कि देश की शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों का मानसिक विकास करने के मामले में क्यों पीछे हट जाती है। क्या यह तय करना उसकी जिम्मेदारी नही है कि किताबों में जो बात कही गई है उसके मायने क्या हैं और उसे किताब में शामिल करने का कारण क्या है? हम अपने जीवन में उसे कैसे लागू करें? आखिर इन चीजों के पीछे कैसी दोहरी मानसिकता काम करती है? या फिर क्या जानबूझ कर मस्तिष्क की किसी नस को दबा दिया गया है? शिक्षा के मुद्दे को उठाया तो जा रहा है, लेकिन उसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। आज गांवों

और शहरों में भी यह मानसिकता बनने लगी है कि पढ़ने से आखिर होगा क्या! पढ़ कर भी बच्चे कलेक्टर नहीं बन पाएंगे तो इसके पीछे समय बर्बाद करके क्या लाभ! शायद यह वजह भी है कि ग्रामीण इलाकों में मां–बाप बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं।

दरअसल, अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए मां–पिता इस उम्मीद से भेजते हैं कि उन्हें अपना नाम लिखना तो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोगों को मेरा एक सुझाव है कि उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता सब जगह होती है। इस ओर सरकारों की उदासीनता जगजाहिर रही है। मेरी समझ के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस तरह की बहसों का होना और उसमें इस बात पर अड़ जाना ताज्जुब की बात नहीं होगी कि देश के विकास के कारकों में सेना का सशक्त होना अकेला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी राय रखने वाले विद्यार्थी कल के शिक्षक बनेंगे तो उनसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान के रूप में क्या मिलेगा।

सच यह है कि बड़ी संख्या में स्कूलों या शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। केवल आंकड़ों में विकास को दिखाने का काम चल रहा है। आज बात की जा रही है कक्षा को 'स्मार्ट क्लास' में बदलने की। तो यह जानना आवश्यक है कि इसके जरिए कितने स्कूलों को 'स्मार्ट क्लास' में बदला जा सकेगा। विकास का पैमाना केवल दिल्ली या मुंबई नहीं, बल्कि इसके इतर भी है। केवल दिल्ली के बाहरी इलाकों में जाने पर पता चलता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है।

मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 'स्मार्ट शिक्षा' का पैमाना यह माना जाएगा कि शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी, केवल पेनड्राइव से काम चल जाएगा। महानगरों में शिक्षा डिजिटल रूप से चलेगी। फिलहाल चल रहे स्कूलों–कॉलेज केवल आंकड़ो को बढ़ा रहे हैं। सत्र पूरा कब होगा, उसकी परीक्षाएं कब होंगी, यह तक सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। दावा तो था कि शिक्षा में गुणवत्ता निजीकरण से बढ़ेगी, लेकिन सच यह है कि हालात में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है।

बच्चों धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतवादों से नहीं। सच्चा बनना तथा सच्चा बर्ताव करना, इसमें ही समग्र धर्म निहित है। जो केवल प्रभु–प्रभु की रट लगाता है, वह नहीं, बल्कि जो उस परमपिता के इच्छानुसार कार्य करता है वही धार्मिक है। यदि कभी–कभी तुमको संसार का थोड़ा–बहुत धक्का भी खाना पडे, तो उससे विचलित न होना, मुहुर्त भर में वह दूर हो जायगा तथा सारी स्थिति पुनः ठीक हो जाएगी।

— स्वामी विवेकानन्द

आधी आबादी की शिक्षा एवं चुनौतियां

ज्ञानवती धाकड़

शिक्षा शब्द संस्कृत के 'शिक्ष' धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना, वहीं अंग्रेजी का शब्द 'एजुकेशन' जो स्वयं लेटिन शब्द 'एजुकेटम' से बना है; जिसका अर्थ है अंदर से बाहर निकालना यानि, कि बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना या विकसित करने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार – 'मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।'
फ्रीड्रिक विलियम अगस्त फ्राबेल – 'शिक्षा एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक अपनी शाक्तियों का विकास करता है।'
महात्मा गांधी – 'शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण विकास से है।'
हरबर्ट स्पेन्सर – 'शिक्षा से तात्पर्य है अन्तर्निहित शाक्तियों तथा बाह्म जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना।'
प्लेटो – 'व्यक्तिव का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है।'

मतबल साफ है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक एवं सार्थक जीवन जीने का सम्बल देने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है जो उसके दिमाग को विकसित और क्रियाशील बनाकर एक जागरूक एवं समझदार सामाजिक प्राणी बनाने में सहायक होती है। शिक्षा ही ज्ञान के भण्डार को हमारे दिमाग में भरकर हमें एक सुखद एवं कर्तव्यनिष्ठ जीवन जीने के योग्य बनाती है, क्योंकि शिक्षा के बिना व्यक्ति एक निरा अविकसित मानसिकता के साथ जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। हां, यह कहा जा सकता है कि किताबी ज्ञान के साथ–साथ व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान की भी आवश्यता होती है जो व्यक्ति को अपने जीवन के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिन प्रतिदिन के अनेक कार्यों को करने की एवं उन पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती हैं। अतः जो शिक्षा जीवन पुष्प को सुसमन्वित रूप से प्रस्फुटित करके मनुष्य जीवन को समग्र रूप से सार्थक बनाने के साथ ही दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्रदान करती हो, वही सच्ची शिक्षा है। लेकिन आज के उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण रूपी परिवेश में शिक्षा की व्याख्या में इसके मौलिक आधार जैसे व्यक्तिव विकास, नैतिकता, सामाजिक दायित्व, मानवीय कर्तव्य आदि की पूर्णरूपेण अनदेखी हो रही है और सिर्फ रोजगा़रपरक शिक्षा देने पर ही जोर दिखाई दे रहा है जिसके कारण आज का युवा सम्पन्नता के बावजूद मानसिक

उलझन में फंसे दिखाई देते हैं । वह हर वक्त आक्रामक दिखाई पड़ते हैं, उनमें धैर्य, सहनशीलता, संघर्ष करने की क्षमता, आत्म विश्वास, ईमानदारी, स्पष्टता आदि का सर्वथा अभाव होता जा रहा है । कारण स्पष्ट है हमारी शिक्षा पद्धति में ही कुछ मूलभूत कमी आ गई है इसीलिए यह उक्ति सही साबित हो रही है कि 'बोऐ पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होय'। यह बात जब लड़कियों की शिक्षा की हो तो वहॉ पर उचित शिक्षा पर ध्यान देने की और भी ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि एक लड़की या महिला परिवार की धुरी होती है । वह एक बेटी, पत्नी और माँ के रूप में कई भूमिकाएँ निभाती है । वह ही बच्चे की पहली गुरू होती है और जो गुण वह बच्चे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिखाती है वह उसके जिन्दगी भर साथ रहते हैं। अतः उसकी शिक्षा–दीक्षा में संस्कार का होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय समाज में आज भी महिलाओं को लेकर दोहरे मापदंड है । एक तरफ तो समाज उन्हें पूजनीय, सरस्वती, लक्ष्मी जैसी उपमाएँ देता है तो दूसरी तरफ उनका शोषण करने में भी पीछे नहीं रहता है । आज भी उसे घर परिवार और समाज में उचित सम्मान प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि उसे सृष्टि की रचनाकार कहा गया है । लेकिन वह ही असुरक्षित होकर जीवन'यापन करने को मजबूर है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रतिशत अशिक्षा का दंश झेल रहा है। जबकि उसकी शिक्षा तो लड़कों से भी ज्यादा आवश्यक है क्योंकि वह ही बच्चे की जन्मदात्री है। इसलिए वह जन्म के पहले से ही संस्कार डालने लग जाती है। इसलिए अगर वो शिक्षित होगी तो बच्चे में स्वमेव ही वे गुण आ जाएगे। शिक्षा से वह स्वयं तो अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग एवं आत्मनिर्भर होंगी ही, साथ ही देश के विकास में भी योगदान दे सकेंगी। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी सम्भव है जब उसकी इस आध ी आबादी को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों में सशक्त किया जाए। जैसा कि कई विद्वानों ने कहा भी है कि–

जवाहरलाल नेहरू – 'यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा, महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत हो जाएगा।'

गाँधीजी – 'एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लड़के को शिक्षित करने से वह अकेला शिक्षित होता है किन्तु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, महिला ही बच्चे की सबसे पहली शिक्षक होती है। महिला की शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को प्राप्त होता है।'

अरस्तु – 'किसी भी राष्ट्र की स्त्रियों की उन्नति व अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति व अवनति निर्भर है।'

स्वामी विवेकानन्द – 'किसी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान महान बने तो इसके लिए आपके घर की महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है।'

यानि कि महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण में शिक्षा की अहम भूमिका है। शिक्षित महिलाएं न केवल स्वयं आत्मनिर्भर होती हैं अपितु भावी पीढ़ियाँ भी लाभान्वित होती है। शिक्षा ऐसी सम्पति है जिसे छीना नहीं जा सकता है। इस जीवन रूपी रथ के नर और नारी दो पहिए हैं। इसमें से अगर एक पहिया कमजोर हो तो यह स्वमेव ही समझ में आने वाली बात है कि वह रथ या गाड़ी सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेगी। अतः आवश्यकता है कि समाज के ये दोनों पहिए पुरूष एवं महिला शिक्षित, सशक्त एवं जागरूक नागरिक हों। अशिक्षा के कारण महिला अंधविश्वास और भ्रम की शिकार हो जाती है, असामाजिक तत्व उन्हें बहला–फुसलाकर अनेक कुकृत्यों की ओर ढ़केल देते हैं जैसे हम कई बार सुनते हैं कि किसी महिला के लड़का नहीं होने के कारण उसने किसी ढ़ोंगी बाबा के बहकावे में आकर अपने पड़ोसी की संतान की बलि चढ़ा दी। यह अशिक्षा का ही परिणाम है।

भारत में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें वैदिक युग से आधुनिक युग तक अनेक उतार–चढ़ाव आते रहे हैं। वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी। परिवार एवं समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। सम्पति में वे बराबर की हकदार थीं। पूजा–पाठ एवं सभा समितियों में स्वतंत्रपूर्वक भाग लेती थीं। उत्तर वैदिककाल से महिलाओं की अवनति शुरू हो गई और उनकी शिक्षण की सुविधा पूरी तरह से समाप्त प्रायः हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक काल में ही तथा स्मृतिकाल में भी 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' कह कर सम्मानित भी किया जाता था। पौराणिक काल में महिला को शक्ति स्वरूपा मानकर उसकी पूजा की जाती थी। किन्तु मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का नष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया। उनकी स्थिति में जबरदस्त गिरावट आई और वह अशिक्षा और रूढ़िवादिता में जकड़ती चली गई। परिणामस्वरूप महिलाएं अबला और भोग्या बनकर रह गईं। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक जैसी प्रथाएं फैली। वहीं बहुविवाह प्रथा भी महिलाओं को दबाए रखने का काम कर रही थी। धीरे–धीरे 19वीं सदी के मध्यकाल से 21वीं सदी तक पहुँचते–पहुँचते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा जिसके फलस्वरूप वह शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद, डाक्टर, वकील, लोक सभा–राज्यसभा सदस्य, इंजीनियर, न्यायधीश, प्रशासनिक अधिकारी, पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख आदि विविध क्षेत्रों में नित नए आयाम स्थापित करने लगी। और आज वह उच्च से उच्च स्तर पर पहुँच कर सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। आज महिला आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित एवं आत्मविश्वासी बनती जा रही है और घर की चारदिवारी से निकलकर रूढ़िवादी प्रवृतियों को त्यागकर विभिन्न व्यवसायों एवं

सेवाओं में कार्यरत है। इस तरह आज यह कहा जा सकता है कि महिलाएँ शिक्षित होकर चहुँ दिशाओं में अपना परचम लहरा रही है। लेकिन ऐसा गिनती की कुछ महिलाएँ ही कर पा रही हैं जबकि एक बहुत बड़ी संख्या आज भी निरक्षरता के जाल में फंसी हुई है। इन्हें शिक्षित करना आज प्रशासन ही नहीं बल्कि हम सभी जो स्वयं को कुछ पढ़ा–लिखा व्यक्ति समझते है, की जिम्मेदारी बनती है। विशेषकर हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि गांवों में शिक्षा की अलख जगाएं और प्रत्येक बच्चे को चाहे वो लड़का हो या लड़की शिक्षित करने का प्रयास करें ताकि सम्पूर्ण भारत साक्षर भारत बन सके।

हालांकि हमारे संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 39, 42, 44, 51(क)(ड़) एवं 325 महिलाओं को पुरूष के समान अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है और सभी लड़के एवं लड़कियों को बिना किसी भेदभाव के 6 साल से 14 साल की उम्र तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही 2005 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी बना दिया गया है जिसके तहत भी छह वर्ष से चौहद वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक / बालिका को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्राप्त करने का अधिकार होगा और इसके लिए उनसे किसी प्रकार की फीस या अन्य कोई प्रभार भी नहीं लिया जायेगा। वैसे देखा जाए तो अब चारों तरफ एक जागरूकता आई है और सभी को यह समझ में आने लगा है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन अंधकारमय ही रह जाता है। अतः सभी का शिक्षित होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अतिआवश्यक है। आज तो शिक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत महत्व दिया जा रहा है। यहीं कारण है कि शिक्षा के अधिकार को सम्पूर्ण विश्व में करीब–करीब सभी देशों ने एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति है – 'नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति मातृ समोगुरू' यानि कि इस दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरू नहीं है। जो शत–प्रतिशत सही भी है क्योंकि बालक के विकास में सर्वप्रथम माता का ही प्रभाव पड़ता है, माता ही उसकी पहली गुरू होती है और इस प्रारम्भिक ज्ञान का प्रभाव बालक के जीवन की अमिट लकीर बन जाता है। अतः अगर माता पढ़ी–लिखी एवं संस्कारयुक्त होगी तो वह अपने बच्चे में भी सुसंस्कार डालेगी। एक बार नेपोलियन को पूछा गया कि फ्रांस की प्रगति के लिए क्या आवश्यक हैं तो उसने जवाब दिया कि देश की प्रगति शिक्षित माता के बिना असम्भव है।

जॉन इलियोट ने सन् 1849 में ही कलकत्ता में एशिया का पहला महिला स्कूल खोल दिया था जिसे बाद में 'बीथुने कॉलेज' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। वैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाने लगा, लेकिन अभी भी समाज

की जमीनी सच्चाई बहुत ही निराश करने वाली है। ऐसा इसलिए कि आज भी लड़की को एक बोझ माना जाता है और इस मानसिकता के कारण कहीं–कहीं तो उसे जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। लड़के और लड़की का भेदभाव अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में शिक्षित और अशिक्षित में कोई विशेष फर्क नहीं है। सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद अभी भी शिक्षित लड़कियों का प्रतिशत शिक्षित लड़कों की तुलना में बहुत कम है। सन् 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में 84.14 प्रतिशत तक लड़के शिक्षित हैं वहीं लड़कियाँ सिर्फ 65.46 प्रतिशत ही स्कूलों में दाखिला लेती हैं और उनमें से भी 40 प्रतिशत तो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करते–करते स्कूल छोड़ देती हैं। अतः महिलाओं की शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है। हाल के एक सर्वे के अनुसार सन् 2015 तक भी 3. 7 मिलियन लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाई है। इनमें से भी करीब 40 प्रतिशत लड़कियाँ पांचवी कक्षा तक पहुँचते–पहुँचते स्कूल छोड देती हैं और उसमें से भी उनकी स्थिति ऐसी रहती है कि वह सामान्य हिन्दी को भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाती हैं। हालांकि सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, मिड–डे मील, निःशुल्क शिक्षा के साथ ही अन्य सुविधाओं के दिए जाने के कारण तथा संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने के बाद 6 वर्ष से 14 साल के लड़के–लड़कियों की शिक्षा में अच्छी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार के डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एज्यूकेशन प्रोग्राम के कारण भी बच्चों का एक बार भर्ती होने के बाद कुछ समय बाद स्कूल छोड़ देने में कमी आई है। बच्चों के स्कूल छोड़ने में भाषा भी एक कारण बन जाती है क्योंकि गैर हिन्दी भाषी बच्चे हिन्दी को समझ नहीं पाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350क में इसके लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि आवश्यकता हो तो स्थान विशेष की स्थानीय भाषा में भी शुरू की शिक्षा दी जा सकती है। ऐसा करने से बच्चे धीरे–धीरे हिन्दी को समझने लगेंगे तो उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और वे बीच में ही पढ़ाई, छोड़ कर नहीं जाएंगे। हालांकि शहरों में स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है क्योंकि शहरों में इतनी जागरूकता तो आ गई है कि माँ–बाप अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए भेजने के लिए उत्सुक होने लगे हैं चाहे वो उसे स्नातक तक ही पढ़ायें। पर इतनी शिक्षा तो अधिकतर लड़कियों को दिलाई जाने लगी है। जहाँ तक गांवों का सवाल है वहाँ पर तो आज भी स्थिति बहुत निराशाजनक है और अधिकतर लड़कियाँ या तो स्कूल का दरवाजा ही नहीं देखती हैं, और जाती भी हैं तो जल्दी ही पढाई छोड़ देती हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जो लड़कियों की शिक्षा में बाधा बन रहे हैं जैसे गरीबी, सामाजिक प्रतिबन्ध, बाल विवाह, घरों के पास में स्कूलों का नहीं होना, स्कूलों की सफाई व्यवस्था, महिला शिक्षक की कमी, सरकारी स्कूलों का भीड़ भरा वातावरण, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालयों का नहीं होना, कमरों में बिजली की उचित व्यवस्था का नहीं होना, लड़कियों की अपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था आदि जिनके कारण आज भी माँ–बाप अपनी बेटियों को स्कूलों में भेजने से कतराते हैं। इस पृष्ठभूमि में यह देखना आवश्यक हो जाता है कि आख़िर इतने प्रयासों के बावजूद आज भी गांवों तक पूरी शिक्षा क्यों नहीं पहुँच पाई है, इसके क्या कारण है और उनके क्या समाधान किए जा सकते हैं ।

अशिक्षित माँ–बाप एवं गरीबी

हमारे गांवों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चों के अधिकतर माँ–बाप स्वयं ही अशिक्षित हैं जिन्हें पढ़ाई का महत्व ही मालूम नहीं है। ऐसे में वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे उत्सुक हो सकते हैं ? बदले सामाजिक परिवेश और एक हद तक जागरुकता के कारण अब वे अपने बेटों को तो पढ़ाने के लिए उत्सुक होने लगे हैं लेकिन बेटियों को वह अभी भी पढ़ाने को तैयार नहीं है। अभी भी उनकी मानसिकता यही है कि बेटी को तो घर का काम करना आना चाहिए, उसे पढ़ाई करके क्या करना है ? वे सोचते हैं कि लड़की को तो शादी करके दूसरे घर जाना है जहां उसे अपने ससुराल वालों की सेवा करनी होगी। ऐसे में पढ़ाई का उनके लिए कोई विशेष महत्व ही नहीं होता है। इसके साथ ही भारत में 21.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। जहाँ जीवन – यापन भी कठिनाई से हो रहा हो वहां हम यह कैसे सोच सकते हैं कि लोग अपनी बेटियों को सहजता से पढ़ाई के लिए स्कूलों में भेजेंगे। ऐसे में लोग तो यह चाहेंगे कि बेटियां घर के कार्यों में सहयोग करें ताकि परिवार के अन्य सदस्य कमाई के लिए जा सकें या वह भी घर में कोई कार्य करे ताकि कुछ आमदनी का साधन बने। इसके लिए आवश्यक है कि चौपाल या अन्य सामाजिक संस्थाओं के सदस्य उनके बीच बैठकर उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाएं। उन्हें यह बताएं कि बेटी की शिक्षा उनके स्वयं के उत्थान, समाज की प्रगति एवं बच्चों के विकास के लिए कितनी आवश्यक है। इतना ही नहीं यह भी सम्भव है कि पढ़कर अथवा कोई हुनर सीखकर बेटी भी आर्थिक उपार्जन करने लगे। ऐसा कर वह अपने परिवार का सहारा भी बन सकती है और साथ ही साथ जीवन भर के लिए आत्मनिर्भर भी। यदि ये बातें उन्हें उनके स्तर पर बैठकर समझाई जाए तो वह अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए निश्चित रुप से भेजना प्रारम्भ कर देगें। अगर परिवार में कोई शिक्षित महिला है तो यह उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपने परिवार एवं पड़ोस की अशिक्षित महिलाओं एवं बेटियों को समझाये और उनके ज्ञान एवं क्षमता तथा तर्कशक्ति का विकास करे। यदि परिवार की शिक्षित महिलाएं अपने पड़ोस की अनपढ़ महिलाओं को प्रगतिशील एवं सभ्य बनाने का प्रयास करें तो सहज ही बेटियाँ पढ़ने के लिए अग्रसर होंगी।

बाल विवाह

अनेक कानूनों एवं प्रशासन के प्रयासों के बावजूद आज भी ग्रामीण निवासियों की मानसिकता में पूरी तरह बदलाव नहीं आया है। हर साल आखातीज (अक्षय तृतीया) जैसे मौकों पर हजारों की संख्या में चोरी–छुपे बाल विवाह हो रहा है। बेटियों के शिक्षा से वंचित रह जाने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज भी अधिकतर परिवार के सदस्यों की सोच यही होती है कि बेटी तो पराया धन है उसे एक दिन शादी करके अपने घर जाना है, तो फिर उसे शिक्षित कराने का क्या फायदा। उसे तो बस घर का काम करना आना चाहिए

अन्यथा ससुराल वाले उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसी सोच के कारण वह उसे ज्यादा बड़ा भी नहीं होने देते हैं बल्कि छोटी उम्र में ही उसे विवाह के बन्धन में बांध देते हैं। स्थिति यहाँ तक खराब है कि कई बार तो लड़के–लड़कियों को गोद में लेकर या उनकी अबोध उम्र में ही शादी कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई की कल्पना करना एक बेकार की सोच बन जाती है। हालांकि अब सरकार ने 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं' अभियान की घोषणा करके इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया है। इस अभियान के लिए 100 करोड़ रूपये भी आवंटित किए गए हैं, लेकिन अभी इस ओर और भी ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अभिभावकों को समझाना होगा कि छोटी उम्र में शादी करने के कितने नुकसानप्रद परिणाम होते हैं जिसके कारण उनकी बेटी की तो जिन्दगी खराब होती ही है बल्कि उससे होने वाली सन्तान भी कमजोर हो सकती है। अतः आवश्यकता है कि प्रशासन सहित अन्य सामाजिक संस्थाएं तथा समाज के पढ़े–लिखे लोग अपने आस–पड़ोस की गतिविधियों के प्रति सचेत रहें तथा जब भी कोई बाल विवाह हो रहा हो तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस या अन्य अधिकारियों को दें ताकि ऐसा होने से रोका जा सके और संबद्ध लडके अथवा लडकी को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

लड़कियों के नहीं पढ़ने का एक सामाजिक कारण यह भी है कि हर माँ–बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी अच्छे घर में पढ़ें–लिखे लड़के के साथ हो जाए। लेकिन चूंकि अभी तक लड़के ही गावों में बहुत कम पढ़े–लिखे होते हैं तो माँ–बाप की एक स्वाभाविक चिन्ता यह हो जाती है कि अगर हमने अपनी बेटी को बहुत पढ़ा–लिखा दिया तो उसकी शादी कैसे करेंग? लोग अकसर लड़के को लडकी से ज्यादा पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। ऐसे में वे सोचने लगते हैं कि यदि लड़की स्वयं ही ज्यादा पढ़ लेगी तो उसे उससे ज्यादा पढ़ा–लिखा लड़का नहीं मिलेगा। इसके लिए माँ–बाप को यह समझाना होगा कि शादी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना है। अगर बेटी शिक्षित हो जायगी तो अच्छे और पढ़े–लिखे लड़के शहरों में खूब मिल जाएंगे।

साथ ही यह विवेचन करना भी आवश्यक है कि क्या लड़के का लड़की से ज्यादा पढ़ा–लिखा होना अनिवार्य है ? क्या वह एक स्तर तक पढ़ाई करने के बाद स्वयँ का कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है ? यह सभी जानते हैं कि लड़कों के लिए रोजगार महत्वपूर्ण होता है ताकि वे परिवार का भरण–पोषण कर सकें। रोजगार की तलास में कई लड़के पढ़ाई की सामान्य दिशा को छोड़ हुनर हासिल करने या स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए सिर्फ शादी के नाम पर बेटी को पढ़ाई से रोकना वास्तव में उनके विकास को रोकना है। जरुरत है कि शादी के नाम पर उन्हें पढ़ने से न रोका जाए बल्कि उन्हें कम–से–कम इतनी शिक्षित तो होने दिया जाए कि वह अपनी जिन्दगी को समझ सकें और निर्णय लेने के काबिल हो सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर कुछ काम करके परिवार के लिए जीविकोपार्जन भी कर सकें।

मुम्बई की एक संस्था चाइल्ड राइट्स एण्ड यू (क्राई) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से यह बात ज्ञात हुई है कि हाल के वर्षों में बाल विवाह की संख्या घटी है और दूसरी ओर पढ़ी –लिखी बेटियाँ स्वास्थ्य की ओर अधिक जागरूक हो रही हैं। साथ ही साथ कुपोषण की संख्या भी घट रही है जिससे महिला सशक्तीकरण को निश्चित रुप से बढ़ावा मिलेगा।

दहेज प्रथा

दहेज प्रथा एक अभिशाप है जो आज भी हमारे समाज को दीमक की तरह खाए जा रही है और अनेक कानूनों के बावजूद यह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सच तो यह है कि ज्यादा दहेज प्राप्त करने को इज्जत बढ़ाने का एक तरीका सा माना जाता है। यहीं कारण है कि ज्यादा दहेज नहीं लाने पर कहीं कहीं तो बहू की हत्या तक कर दी जाती है जो बेटियों की पढ़ाई को रोकने का एक बड़ी कारण बनती है क्योंकि माँ–बाप अकसर सोचते हैं कि शादी में जब इतना ज्यादा दहेज देना ही पड़ेगा तो बेटी को ज्यादा बड़ा करने एवं पढ़ाई कराने का खर्चा क्यों वहन किया जाए। और इस कारण से वे जल्दी से जल्दी बेटी की शादी करके तथा उससे मांगा गया दहेज देकर अपने आपको कर्ज मुक्त हुआ मानते हैं। फलस्वरूप बेटी पूरी पढ़ाई प्राप्त करने से महरूम रह जाती है। हालांकि दहेज संबंधित कानून अब बहुत सख़्त कर दिए गए हैं लेकिन तब भी उनका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। इसके दो विशेष कारण है, एक दहेज संबंधित लेन देन का दोनों पक्षकारों की मिली भगत से होना तथा दूसरा इन सब का खुले में ना होना। ऐसी स्थिति में ये मामले पुलिस तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। फिर भी अगर कोई लड़की या उसके अभिभावक हिम्मत करके सामने आ जाते हैं तो दूसरे पक्ष को शिक्षा मिल भी रही है। अतः समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से लड़कियों की पढ़ाई में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

स्कूलों की कमी

सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय सभी बच्चों को उनके आवास से अधिकतम 1 किमी तथा उच्चत्तर प्राथमिक विद्यालय अधिकतम 3 किमी के भीतर होनी चाहिए। हालांकि काफी समय से प्रशासन अधिक–से–अधिक स्कूल खोलने के लिए प्रयासरत है लेकिन आज भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती है क्योंकि आज भी गांवों में इतने कम स्कूल हैं कि बच्चियों को स्कूल पहुँचने के लिए लम्बी दूरी पार करनी पड़ती है और कहीं कहीं तो स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें काफी दूर तक पानी में होकर जाना पड़ता है। और कहीं तो स्कूल भवन इतने जर्जर हैं कि बारिश का पानी कमरों में भर जाता है, जिसके कारण स्कूलों को बन्द करना पड़ता है। कुछ स्कूल कबाड़खाने, मोटर के गैरेज या मंदिरों में ही चल रहे हैं तो कहीं पर पेड़ों के नीचे ही स्कूल

चलाए जा रहे हैं। जहाँ स्कूल हैं वहाँ भी एक कमरे में एक क्लास लगाने के बजाय कहीं कहीं पर तो एक क्लास रूम में तीन–तीन तक कक्षाएँ चलाई जा रही हैं जो छात्रों को विद्यालय आने के लिए उत्साहित करने के बजाए हतोत्साहित करता है। इसलिए विद्यालय भवनों में सुधार करना अतिआवश्यक है अन्यथा जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं वे भी बारिश, धूप, आंधी के वक्त वहाँ पढ़ नहीं सकते। स्कूलों में अलग–अलग शौचालय भी आवश्यक रूप से बनाये जाने चाहिए अन्यथा यह भी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने का एक बड़ा बहाना बन जाता है। ये सभी स्थितियाँ लड़कियों को शिक्षित करने में रोड़ा बन रही है क्योंकि इन स्थितियों में माँ–बाप अपने बेटों को तो फिर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं पर बेटियों को भेजने के लिए कतई तैयार नही होते हैं। अतः अगर लड़कियों को अधिक संख्या में शिक्षित करना है तो स्कूलों की संख्या बढ़ानी होगी और वहां न्यूनतम सुविधाएँ भी उपल्बध करानी होंगी। साथ ही निःशुल्क मध्यान्तर का खाना, स्कूल की ड्रेस, निःशुल्क किताबें और लिखने के सामग्री, निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं और क्रेच आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। यह अच्छी बात है कि अब सरकार द्वारा शौचालय निर्माण का काम तो बड़े स्तर पर किया जा रहा है और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और भारती एंटरप्राइजेज जैसी अनेक संस्थाएं इसमें सहयोग भी कर रही हैं जिन्होंने शौचालय निर्माण के लिए 100, 100 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है। वेदान्ता ग्रुप बड़ी संख्या में स्कूलों में शौचालय बना रहा है, जो सराहनीय कार्य है। यह बात शायद हम सभी को कठस्थ होगा कि बेटियाँ पढ़ जाती हैं तो पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं लेकिन यह कार्य सिर्फ कहने से नहीं बल्कि धरातल पर करने से संभव हो सकेगा। इसके लिए दोष किसी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि हमारे यहां तो प्रत्येक स्तर पर शिक्षा की अनदेखी हो रही है जैसे शिक्षा पर जितना बजट केन्द्र सरकार को देना होता हैं वह उससे कहीं कम बजट ही देती है और दूसरी ओर राज्य सरकारें हैं कि दिए गए बजट को भी पूरा खर्च नहीं कर पाती हैं। यह शिक्षा व्यवस्था में कमियों का एक बड़ा कारण है। बजट कम होने और उपलब्ध धन राशि को भी पूरी तरह व्यय नहीं किए जाने के कारण ही कहीं क्लास रूम नहीं है तो कहीं कमरों में बैठने आदि की सुविधा नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है तो कहीं अन्य शिक्षा सामग्री बहुत कम मात्रा में उपलब्ध ा कराई जा रही है। यदि महिलाओं में व्याप्त असाक्षरता को दूर करनी है तो इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

योग्य शिक्षकों की कमी

सन् 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन के अनुसार शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से लागू करने के लिए अभी भी करीब 1.2 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकता है। जो शिक्षक पहले से बहाल हैं उनमें से भी करीब 60 प्रतिशत पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। इतना ही नही कक्षा में पढ़ाने के बजाय इनका अधिकांश समय सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को निभाने में लगता है जिससे बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से नही हो पाती है

और उनके अभिभावकों को स्कूल छुडाने का बहाना मिल जाता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षकों को स्थानीय वातावरण के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए तथा गैर शैक्षणिक कार्यों में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए क्योंकि इस तरह की व्यस्तता के कारण वे शिक्षा पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसका प्रभाव सीधे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। शिक्षक का अपने विद्यार्थियों से सतत जुड़े रहना आवश्यक है और जब बात लड़कियों की पढ़ाई की हो तो यह और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि पढ़ाई में बार–बार व्यवधान होने से माता–पिता को बेटियों को स्कूल नहीं भेजने का बहाना मिल जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस ओर काफी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अध्यापन कार्य में कम से कम रूकावट उत्पन्न हो लेकिन अभी भी ये प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं और इनमें सुधार किए जाने की महत्ती आवश्यकता है। छात्र–शिक्षक अनुपात ठीक हो और एक शिक्षक कितनी कक्षाओं के कितने बच्चों को एक साथ भली–भॉति पढ़ा सकेगा, इस पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है। अभी हालात यह है कि कई स्कूलों में तो एक शिक्षक 70–80 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा होता है जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रूझान कम हो जाता है। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के नियमों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रति 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक तथा उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पर प्रति 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होने का प्रावधान है इसलिए एक शिक्षक द्वारा इतने अधिक संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने का चलन लागू किए गए नियमों के भी विपरीत है। जहाँ तक बात गांवों में लड़कियों की पढ़ाई की है यहां तो शिक्षक–छात्र के निर्धारित अनुपात का पालन किया जाना और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये लड़कियां अत्यंत ही विषम परिस्थितियों में विद्यालय आती हैं इसलिए उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर सम्भाले जाने की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है जो उन्हें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शिक्षा केन्द्रों के लिए संचालन मार्गदर्शिका का सृजन होना चाहिए और उसे वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि कार्यरत स्टॉफ अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे और उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। वैसे योग्य शिक्षक को तैयार करना भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि शिक्षक का कार्य एक दफ्तर कार्य करने वाले से बहुत भिन्न होता है। विद्यालय में एक जीते जागते बच्चे को गढ़ाना होता है, जो बहुत ही श्रमसाध्य और धीरज वाला काम होता है। अतः कुशल शिक्षकों की आवश्यकता को सर्व प्रथम पूरा किया जाना चाहिए। देश के कई स्थानों पर शैक्षिक गुणवत्ता खतरे में है यहां स्थिति ऐसी है कि 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास तक के सवालों के भी ठीक से जवाब नहीं दे पाता है, अतः इस मामले पर गम्भीरता से सोच–विचार कर निर्णय लेने चाहिए ताकि देश में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके।

पाठ्यक्रम और स्कूल का समय

लड़कियों की पढ़ाई के लिए यह बेहतर होगा कि जिस गांव में स्कूल हो वहाँ की

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों की समय–सारणी तय किया जाय तथा पाठ्यक्रम को बच्चों की ग्रहण क्षमता के अनुरूप, लचीला और गतिविधि आधारित बनाया जाए। जहाँ तक सम्भव हो बालिका विद्यालयों में अधिकाधिक महिला अध्यापिकाएं ही निरीक्षक एवं प्रशासक नियुक्त होनी चाहिए ताकि छात्राओं को अपनी बात कहने में सहजता का अनुभव हो और वे बिना किसी रूकावट के पढ़ाई कर सकें। चूंकि माता पिता सहशिक्षा दिलवाने के लिए तैयार नहीं होते इसलिए कई गांवों में सहशिक्षा के कारण भी लड़कियों को पढ़ाई से रोक दिया जाता है। ऐसे में जिन विद्यालयों में सहशिक्षा का प्रावधान हो वहॉ समय को ऐसे तय किया जाना चाहिए कि बालक और बालिकाएं दोनों अलग–अलग समय पर आकर पढ़ सकें। पाठ्यपुस्तकों की रचना पहले से स्थापित लेखकों द्वारा न की जा जाकर वर्तमान के प्रबुद्ध शिक्षकों और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए जो पढ़ाते हुए छात्रों को उनके मौजूदा जिंदगी के सवालों और उसके जवाब के साथ भी सहजता से जोड़ सकें। यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि व्यावहारिक शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबी कीड़े तैयार करना नहीं बल्कि छात्रों को वास्तविक जिन्दगी में काम आने वाली शिक्षा पद्धति से जोड़ना है। वर्तमान सामाजिक संदर्भों में लड़कियों का जीवन अत्यंत ही चुनौती पूर्ण है इसलिए जब लड़कियों की शिक्षा की बात हो तो व्यावहारिक शिक्षा पर और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे शिक्षा का उपयोग अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर सकें। तभी लड़कियां अधिक से अधिक संख्या में पढ़ाई की तरफ आकर्षित होंगीं।

शिक्षा रोजगार मूलक हो

ज्ञानार्जन के साथ–साथ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों को रोजगार के लायक बनाना भी है। इसलिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षा रोजगारमूलक हो तभी वह लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकेगी। इससे अभिभावकों में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि उनके बच्चे केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि कुछ ऐसा भी सीख रहे हैं जिससे आगे चलकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ऐसे में मां–बाप लड़कियों को विद्यालय में जाने से हतोत्साहित करने के स्थान पर उन्हें प्रोत्साहित करेगें। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा में समय के अनुकूल परिवर्तन लाया जाए और ऐसे पाठ्यक्रम बनाये जाएं जिससे पढ़ाई के बाद छात्र स्वयं को किसी लाभप्रद रोजगार से जोड़ सकें। इसके साथ ही विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और शैक्षिक कार्यक्रमों में भी तालमेल बिठाए जाने की जरूरत है ताकि जिस स्थान पर विद्यालय स्थापित हो वहां की परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुरूप व्यवसायिक योग्यता में वृद्धि को सुनिश्चित करने वाली शिक्षा प्रणाली को अपनाया जा सके। कोशिश होनी चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक और सतत् शिक्षा केन्द्रों के प्रेरक एक साथ बैठकर कार्यक्रम तैयार करें क्योंकि इन तीनों एजेन्सी के एकीकृत रूप में कार्य करने से सकारात्मक परिणाम आने की सम्भावना बढ़ जाती है। यह सन्तोष की बात है कि

भारत में अब इस ओर काफी सकारात्मक प्रयास किए जा रहा है। परिणामस्वरूप देश में अब महिलाओं के अनेक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोले जा रहे है और वहाँ उन्हें व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित माहौल देने का प्रयास किए जा रहा है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं शिक्षित हो स्वयं को रोजगार से जोड़ स्वावलम्बी बन सकें।

महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक दुविधाओं को दूर किए जाने की भी आवश्यकता है पर सबसे ज्यादा आवश्यकता तो लड़की के माता–पिता की सोच को बदलने की है। अभिभावकों को यह समझाना होगा कि वे अपनी पुत्रियों को घर या खेती के काम में लगाकर उनका बचपन खत्म न करें बल्कि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूलों में भेजें। सरकार के साथ–साथ स्वयंसेवी संस्थाओं का भी यह प्रयास होना चाहिए कि वे ग्रामीण जनों को बालिका शिक्षा का महत्व समझाने तथा व्यावहारिक तौर पर इसके फायदे बताने के लिए सतत् प्रयासरत रहें ताकि वे लोग स्वयं प्रेरित हों और अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए भेजें। जिन गांवों में स्कूल दूर दूर है वहां चल विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दूरी के कारण लड़कियां विद्यालय जाने से ना हिचकिचाएं और अधिक–से–अधिक संख्या में विद्यालय जाएं। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि समाज का हर पढ़ा–लिखा और समझदार व्यक्ति जागरूक कार्यकर्ता बने और यह ध्यान रखे कि बेटियाँ सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सकें। समाज के सक्रिय सहयोग से बेटियों को यौन उत्पीड़न की घटनाओं से बचाना होगा क्योंकि यह वो बड़ा कारण है जो लड़कियों को स्कूल जाने से हतोत्साहित करता है और इसके डर से माता–पिता हमेशा बेटियों को कहीं भी भेजने में कतराते नजर आते हैं। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए वस्तुतः पुरूष समाज को आगे आना होगा तभी इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। यह समझने की जरूरत है कि महिला सशक्तीकरण पुरूष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है। अतः इसे आगे बढ़ाने में पुरूषों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। लड़कों को अपने घर एवं विद्यालय में ये सिखाना आवश्यक है कि वह लड़कियों की इज्जत करें, उनका सम्मान करना अपना कर्तव्य समझें तभी लड़कियाँ बिना किसी डर के स्कूलों में पढ़ सकेंगी। महिला उत्पीड़न भी बालिका शिक्षा में एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है जिसके लिए समस्त समाज को जागरूक होना होगा। हालांकि प्रशासन द्वारा अनेक योजनाएं स्त्रियों की प्रगति के लिए बनाई गई हैं लेकिन आवश्यकता उनके सटीक क्रियानवयन तथा सदुपयोग की है जिससे समाज में जागरूकता पैदा हो और साथ ही साथ इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा कर महिलाएं स्वयं को समाज में स्वतंत्र, स्वावलम्बी और सम्मानित घटक के रूप में स्थापित करने में सफल हो सकें।

उच्चतम न्यायलय ने भी अपने फैसलों द्वारा समय–समय पर स्त्री शिक्षा के पक्ष में अनेक फैसले दिए हैं और यहॉ तक तय किया है कि स्त्री शिक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसके लिए चाहे तो कानूनों में भी बदलाव भी किए जा सकते हैं, जैसे –

एम. सी. मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु एवं अन्य (एआईआर 1997 एससी 699) के मामले में उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि राज्यों का कर्तव्य है कि बच्चों को चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी को प्राथमिक शिक्षा आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएं। माननीय न्यायालय ने यहां तक कहा है कि अगर कोई माँ–बाप अपने बेटे–बेटी को बचपन में पढ़ाई नहीं कराकर काम पर लगा देता है तो उसे उसकी सजा तक भुगतनी होगी और मुआवज़ा भी देना होगा।

बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (एआईआर 2011 एससी 3361) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बच्चों को प्राथमिक स्तर तक शिक्षित करना प्रशासन का कर्तव्य है। उनसे बालश्रम कराना या उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना असंवैधानिक कष्त्य के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता में भी दण्डनीय अपराध है। प्रशासन का भी यह कर्तव्य है कि सभी को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाये और उसे पूरा करने तक उसमें किसी प्रकार की रूकावट नहीं हो।

उच्चतम न्यायालय ने राजेश कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू. पी. एवं अन्य (एआईआर 2005 एससी 2540) के मामले में तो यहाँ तक तय कर दिया कि अगर महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं तो भी वह लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं माना जायेगा, क्योंकि अभी तक महिलाओं की स्थिति को समानता तक नहीं पहुचाया जा सका है। अतः उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

इसी प्रकार स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश बनाम गोपाल एवं अन्य (एआईआर 2003 एससी 2952) के मामलों में भी उच्चतम न्यायालय ने यही अभिनिर्धारित किया कि अगर महिलाओं को गांवों में नौकरी करने के लिए कुछ रियायत या छूट दी जाती है तो वह असंवैधानिक नहीं माना जायगा क्योंकि अभी तक महिलाओं की स्थिति को समानता तक नहीं पहुचाया जा सका है अतः उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है।

अन्त में यह बात तो स्पष्ट है कि आज भी हम महिलाओं की शिक्षा के मामले में बहुत सन्तोषजनक स्थिति में होने का दावा नहीं कह सकते हैं लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि समाज में पहले से काफी अधिक जागरूकता आई है और महिलाओं की शिक्षा दर में बढ़ोतरी के लिए साक्षर भारत जैसे बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं जिससे निकट भविष्य में बेहतर परिणामों की आशा की जा सकती है। वैसे भी अब स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है क्योंकि स्वयं महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए उत्तरोतर आगे आ रही हैं। कुछ दिनों पूर्व हरियाणा के एक स्कूल की छात्राएं अपने स्कूल को उच्चतर माध्यमिक स्तर में बदलने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई और वे तब तक नहीं उठीं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी गईं। यह उदाहरण प्रमाणित करता है कि अब लड़कियों में भी जागृति आने लगी है। अतः प्रशासन को भी इसे खुले दिल से लेना होगा और ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए

तत्परता से आगे आना होगा। हमें यह तो समझना ही होगा कि महिलाओं को भी बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षा से दूर रखना उनके साथ क्रूरता के समान है। महिला और पुरूष समाज रूपी सिक्के के दो पहलू हैं। अतः दोनों का ही समान रूप से विकसित एवं शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा न केवल महिलाओं का समाज में स्तर ऊँचा करती है बल्कि महिलाओं के प्रति समाज की संकीर्ण सोच, जिसमें उन्हें माँ–बाप पर बोझ की तरह देखा जाता है, को खत्म करती है। आवश्यकता अपनी कमियों से निराश होने कि नहीं बल्कि एकजुट होकर इस दिशा में और अधिक बढ़–चढ़कर काम करने की है। क्योंकि यह हमारे सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि आज महिलाएँ पहले के मुकाबले बहुत अधि ाक संख्या में शिक्षित हो रही हैं और नए–नए मुकाम हासिल कर रही हैं। हां, यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उन्हें प्रदान की जाने वाली शिक्षा सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही सीमित न हो बल्कि यह व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिए जिसमें जीवन के हर क्षेत्र की जानकारी समाहित हो। हम प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस खूब धूमधाम से मनाते हैं लेकिन वह तभी सार्थक होगा जब हम प्रत्येक बालिका को शिक्षित कर पायें, क्योंकि बिना शिक्षा के नारी असभ्य, अदक्ष, अयोग्य एवं अप्रगतिशील ही रह जाती है और वह परावलम्बी और परमुखापेशी बनी हुई विकास से वंचित मूक जीवनयापन करती है। समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, कई बार देखा जाता है कि अगर कोई महिला पढ़–लिखकर ऊँचे पद पर भी पहुँच जाती है तो भी उनका समाज, परिवार और यहाँ तक कि पति द्वारा भी ईष्यावश शोषण किया जाता है जिसके कारण उसे आर्थिक, मानसिक एवं दैहिक उत्पीड़न तक झेलने पड़ते हैं। इसी के साथ इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का यह मतबल नहीं है कि वह पुरूष की प्रतिद्वन्दी बनकर उनके सामने मोर्चा लेकर खड़ी हो जाए, बल्कि पुरूष के साथ मैत्रीपूर्ण रूप से सहयोगी बने, यही सच्ची शिक्षा का उद्वेश्य होना चाहिए। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं उन्हें ही आगे आना होगा और सम्पूर्ण नारी समाज में जागरूकता लानी होगी, तभी उनमें एक आत्म विश्वास की अलख जगेगी और वे भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगी। ध्यान रखना होगा कि एक जागरूक समाज ही सदियों से चली आ रही बेड़ियों को तोड़ कर नए समाज की स्थापना कर सकता है। इस दिशा में उत्तरप्रदेश की सरकार ने सराहनीय कार्य किया है कि बजट में महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए हैं और यह घोषणा की कि राज्य की लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दी जायगी। परिवार की आर्थिक सुदष्ढ़ता एवं सुरक्षा के लिए अब महिलाएँ भी कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही हैं अतः पुरूषों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को जगना होगा और लड़कियों की शिक्षा की प्राथमिकता को समझना होगा। उन्हें ध्यान दिलाना होगा ताकि वे अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक पढ़ाते रहें, बीच में पढ़ाई नहीं छुड़वाएँ। महिला स्वयंसेवी संस्थाओं को इसमें सहयोगी होना होगा। वे ग्रामीण जनता के बीच बैठकर उनको समझा सकती हैं कि बेटियों को पढ़ाना कितना आवश्यक है। केन्द्रीय और राज्य सरकार को भी इन संस्थाओं की आर्थिक मदद करनी चाहिए ताकि वह अपने कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक

अंजाम दे सकें। कोई भी कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति या सम्पूर्ण समाज इसे अपना कर्तव्य नहीं समझता। यदि व्यक्ति, समाज और सरकार साथ मिलकर प्रयास करें तभी लड़कियॉ निर्भीक होकर पढ़ सकेंगी और शिखर पर पहुँच सकेंगी। (नई दिशाएं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)।

dku g! Hkkjr ekrk

कभी–कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुँचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूँज उठता था – ''भारत माता की जय''। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस प्रकार से उनका क्या आशय है? यह भारत कौन है, जिसकी वे जय चाहते हैं, मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता था। उन्हें ठीक–ठीक से यह समझ में नहीं आता था कि वे मुझे क्या जवाब दें और तब वे एक दूसरे की ओर, और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार–बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा–कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता: ''कौन–सी मिट्टी? – उनके अपने गाँव के टुकड़े की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी?'' प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैय्या करते हैं सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता–मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे–जैसे यह विचार धीरे–धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आँखें चमकने लगतीं मानों उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो।

& ifMr tokgjyky ug#

वैश्विक जीवन एवं निरंतरता, एक गांधीवादी दृष्टिकोण

डी जॉन चेल्लादुरै

आधुनिकीकरण ने व्यक्ति के सामर्थ्य को वैश्विक रुप प्रदान किया है। उपग्रह, संचार, वायु मार्गों एवं भारी जमीनी उपकरणों के साथ अब हमारी शक्ति और क्षमता वैश्विक हो गई है। अल्फ्रेड नार्थ वाइटहेड के शब्दों में आज का व्यक्ति जो भी बना है उसमें सम्पूर्ण दुनिया का उदय और सम्मिलन शामिल है। मानव जीवन ने विश्वरुप हासिल कर लिया है।

वैश्विक जीवन ने कई नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। अपने दैनिक जीवन में हम आत्मकेंद्रित व्यवहार से लेकर पर्यावरणीय क्षति जैसी आचार सम्बन्धी उल्लंघनों का नित दर्शन करते हैं। विश्व में सर्वश्रेष्ठ हासिल करने की चाह में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम शिष्ट समाज को एक जोखिम भरे पथ पर चलाए जा रहे हैं।

यूरोप में आधुनिक विज्ञान और औधोगिक क्रांति के प्रारंभिक खतरों के शुरुआती दुष्परिणाम को स्वयं प्रत्यक्ष रुप से अनुभव करने एवं मानव सभ्यता पर इसके दुष्प्रभाव को देखने के बाद गांधीजी ने एक वैकल्पिक जीवनशैली की प्रस्तावना की। यह भौतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जीवन का एक सुन्दर सम्मिश्रण था, जैसा कि गांधीजी कहते थे, व्यक्ति के शब्दों, विचारों और कर्म में समन्वय होना चाहिए। जे. सी. कुमारप्पा ने इसे यथोचित जीवनशैली कहा है।

पारिस्थितिक उपयुत्तताओं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जैव एवं पारिस्थितिक विज्ञान को ध्यान में रखते हुए यह जीवन जीने की अनुकूलतम जीवनशैली का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ सबकुछ एक अनुकूल अनुपात में करना, न ज्यादा और न कम। यह जीवनशैली किसी भी परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है तथा प्रकृति से अधिक सामंजस्यपूर्ण होती है।

इस अनुकूलता के सिद्धांत के सभी पहलुओं को आप गांधी जी के जीवन में परिभाषित होते देख सकते हैं चाहे वह उनकी निजी जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन अथवा शारीरिक या आध्यात्मिक जीवन ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए गांधी जी ने सिर्फ उपयुक्त एवं अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रतिपादन किया। ऐसा करते हुए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि तकनीक इतनी पुरानी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी काम की न रहे और न ही इतनी परिष्कृत की उपयोगकर्ता को अचंभित कर दे। उन्होंने कहा कि यह सिलाई के परिश्रम से बचाती है।

साथ ही यह इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं करती की बेरोजगारी उत्पन्न हो। न ही यह बिजली का उपयोग करती है और न ही कोई प्रदूषण फैलाती है।

किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार एक मापा जा सकने वाला संसाधन है। थोक उत्पादन कुछ लोगों को वैश्विक हिस्से में से औसत से अधिक लेने की अनुमति देता है जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में लोगों को औसत से कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा अवसर अन्तराल उत्पन्न होता है जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं। गांधी जी ने विश्वव्यापी निर्माण और उत्पादन संगटिकाओं के स्थान पर विकेन्द्रित ग्रामीण उद्योगों का प्रतिपादन किया ताकि उत्पादन संभावनाओं और रोजगार आवश्यकताओं का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। जे. सी. कुमारप्पा के शब्दों में उन्होंने टिकाऊ अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था। उचित उपकरण के साथ भूमि पर श्रम ही ऐसा जीवन जीने का अवसर उपलब्ध करा सकता है। गांधी जी ने रस्किन बांड के इन विचारों का भी अनुमोदन किया क्योंकि यह अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी दोनों को ही उचित न्याय देता है।

गरीबी और वैभव दो चरम सीमाएं हैं। गांधी जी के अनुकूलतम दृष्टिकोण की विशिष्टता यह है कि गरीबी को हटाने पर काम करते वक्त (जो उनके 18 रचनात्मक कार्यक्रमों में से एक था) उन्होंने समान रुप से ही स्वैच्छिक गरीबी (जिनके पास आवश्यकता से अधिक है) पर भी उतना ही जोर दिया है। गांधी जी के अनुसार स्वैच्छिक गरीबी के लिए प्रस्तावित संरचनात्मक व्यवस्था ट्रस्टीशिप की थी। उन्होंने जमनालाल बजाज से कहा था कि वे अपने धन के ट्रस्टी बन जाएं और इसे लाखों गरीब लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दें।

गांधी के अहिंसक और उचित आर्थिक विचारों से संकेत लेते हुए ब्रिटिश अर्थशास्त्री ई. एफ. शूमाकर ने लिखा कि यह अर्थशास्त्र का एक ऐसा अध्ययन है जिसमें लोग अहम हैं। क्लब आफॅ रोम जो कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं का एक संघ है उसने सीमित संसाधनों के साथ आर्थिक एवं जनसंख्या वृद्धि के कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित अध्ययन से एक रिपोर्ट संन्लिखित की। उन सभी ने स्वयं संयमित उपयुक्त जीवनशैली का समर्थन किया।

पारिस्थितिकी ऋण दिवस एक कैलंडर में वह स्थान चिन्हित करता है जिसके पश्चात मानव द्वारा किये गए प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग को प्रकृति उस वर्ष पुनःप्राप्त नहीं कर सकती है। यदि यह उपयोग संवहनीय दर से होता है तो यह दिवस वर्ष के अन्त में आना चाहिए। अभी स्थिति यह है कि मनुष्य 365 दिनों के प्रावधान को मात्र 225 दिनो में ही समाप्त कर लेता है। मानवता इस प्रकार से अपनी वार्षिक संसाधनों को हर 13 अगस्त तक समाप्त कर लेती है। इसी वजह से गांधीजी ने कहा था, जो एक तरह से भविष्यवाणी ही प्रतीत होती है कि पृथ्वी पर हर मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के संसाधन तो हैं किन्तु सबकी लालसा

पूर्ण करने के लिए नहीं। आवश्यकता से अधिक उपभोग एक प्रकार से चोरी करने के बराबर है जो कि प्रकृति के प्रति एक हिंसा के सामान है। हो सकता है कि 'लालसा के पूर्ति' के स्थान पर यदि 'आवश्यकता की पूर्ति' की जाये तो शायद हम पारिस्थितिकी ऋण दिवस को कुछ पीछे कर सकें।

ग्राम राज्य की जो अवधारणा गांधीजी ने प्रतिपादित की थी वह एक अनुकूलतम समाज को दर्शाती है। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक जुड़ाव (सहयोग और आपसी सहायता) की आश्यकता होती है परन्तु इसका परिणाम किस हद तक बढ़ाया जा सकता है इसकी एक बहुत ही छोटी सीमा होती है। एक स्वस्थ समाज वह है जिसमें कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रुप से अन्य जनों तक पहुंच सकता है। उन्होंने सामुदायिक परिमंडल के जैसे एक सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की जिसके केंन्द्र में व्यक्ति होगा फिर क्रमशः परिवार, गांव, जिला, राज्य, देश एवं दुनिया होगी।

वैश्विक जीवन ने विविध मनुष्यों के एक साथ मिलकर रहने की अवधारणा को जन्म दिया है। विभिन्न धर्मों, जातीय और सांस्कृतिक उन्मुखीकरण के लोग हर इलाके में रहने के लिए आ गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने भू—दूरी वैसे भी खत्म कर दिया है। स्वयं की धार्मिक, सांस्कृतिक संबद्धता और सामाजिक विविधता के मद्देनजर एक अनुरुपित आचरण के लिए हमें एक मध्यवर्ती व्यवहार स्वरुप को अपनाने की जरुरत है। गांधी जी के ग्यारह व्रतों में से एक ''सर्वधर्म सम्भाव'' इस सद्गुण के महत्व को बताता है खासकर जो वैश्विक लोग हैं उनके लिए।

ई स्टेनली जोन्स जो कि एक अमेरिकी मेथेडिस्ट पुजारी थे, उन्होंने जब गांधी जी से पूछा, मसीह कहते है 'अपने पड़ोसी से प्रेम करो', आप अहिंसा का इससे बेहतर क्या संदेश दे सकते हैं? गांधीजी ने यह कहते हुए जबाब दिया कि 'मेरा कोई शत्रु नहीं है'। उन्होंने कहा 'गुनाह और गुनाहकर्ता दोनों एक नहीं हैं'। मैं 'गुनाह' के खिलाफ हूं', गुनाहकर्ता तो मेरा ही व्यक्ति है। शत्रु से प्यार करने की तुलना में दूसरो में 'दुश्मन' को खोजने की आदत पर काबू पाना अधिक महत्वपूर्ण है।

विस्तृत मानव व्यवहार में हिंसा और अहिंसा दो अलग—अलग अंतिम सिरे में हैं जिसमें पूर्ण हिंसा एक सिरे पर है तो नैतिकतावादी अहिंसा दूसरे सिरे पर। हांलाकि गांधी जी अहिंसा के समर्थक थे किन्तु इसकी चरम अभिव्यक्ति की जगह उन्होंने इसके व्यवहारिक स्वरुप तक ही अपने को सीमित रखा । इसीलिए उन्हें कुछ अपरिहार्य प्रकार की हिंसा भी स्वीकार थी जैसे फसलों को नष्ट करने वाले जानवरो को दूर भगाना।

गांधीजी ने अपने अनुकूलतम दृष्टिकोण को स्वास्थ्य और स्वच्छता में भी प्रयुक्त किया। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषित कर दिया है कि, 'मोटापा' एक वैश्विक महामारी है और जीवनशैली से उत्पन्न सभी खतरों का एकमात्र स्रोत है। गांधी जी ने तर्क दिया कि असाधारण शरीर वाला व्यक्ति जरुरी नहीं कि स्वस्थ ही है। गांधी जी का कहना है कि संभवतः उसने अपनी यह मांसपेशियां कोई अन्य मूल्य देकर अर्जित की हैं। अपनी पुस्तक 'स्वास्थ्य की कुंजी' में उन्होंने सिर्फ पर्याप्त पौष्टिक भोजन, सक्रिय भौतिक जीवन, अच्छी नींद और स्वस्थ सोच द्वारा एक संतुलित जीवन का प्रस्ताव रखा था। उनका पर्यावरण के अनुकूल शौचालय का डिजाइन अपने समय में सर्वश्रेष्ठ था और इसे 'वर्धा शौचालय मॉडल' कहा जाता था।

पृथ्वी इस समय इस पर मौजूद एवं भविष्य में आने वाले सभी जीवों की धरोहर है। एक भव्य जीवन हमारी होड़ में, अगर हम इस पृथ्वी को एक उपभोगित, समाप्त प्राय रुप में पहुंच दें तो, शायद हम प्रकृति के खिलाफ एक घोर अन्याय कर रहे हैं। गांधीजी के जीवनशैली के अहिंसक तरीके और इसके उचित उपकरण, विकेन्द्रित सामाजिक व्यवस्था के साथ सक्षम अर्थव्यवस्था जो एक व्यक्ति को अपने पारिस्थितिकी तंत्र के सहजीवी होने में सक्षम बनाती है, आज हमारे लिए और अधिक प्रासंगिक सीख लगती है।

"Without courage, you cannot practice any other virtue. You have to have courage – courage of different kinds: first, intellectual courage, to sort out different values and make up your mind about which is the one which is right for you to follow. You have to have moral courage to stick up to that – no matter what comes in your way, no matter what the obstacle and the opposition is."

-Late (Smt) Indira Gandhi

gekjs ys[kd

xksfoUn flag /kkeh
सरस्वती विहार कालोनी
पो. आ. – डिग्री कालेज
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)
पिन – 262502

mes'k pekyk
शिक्षक–प्रशिक्षक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद्
राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन
नालापानी, देहरादून, उत्तराखण्ड, देहरादून

Mh tkWu psYyknqjS
डीन
गांधी अनुसंधान प्रतिष्ठान
जलगांव
महाराष्ट्र